

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर
 पंडित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संबल पखवाड़ा-2025 शिविर- विन्जारी

प्रकरण संख्या:- 10/2025

दिनांक:- 24/6/2025

श्री रामजीलाल

उत्तरदाता

बनाम सरकार जरिये तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर



:: आदेश ::

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र और उसके साथ संलग्न बस्तावेज, पटवारी इल्का विन्जारी मू. अ. नि. खादलवाड़ा एवं तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा की रिपोर्ट/अनुशंषा अनुसार राजस्थान मू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत ग्राम गिरहरपुरा प.0 ह.0 विन्जारी की वर्तमान स्थायी जमाबन्दी के खाता संख्या 112 में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

| क्र. सं. | अशुद्ध प्रविष्टि का प्रकार (नाम/पिता का नाम/जाति/ग्राम का नाम/रहन आदि) | वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि) | शुद्ध प्रविष्टि, जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है। |
|----------|--|---|---|
| 1 | पिता <u>अनाम</u> | <u>रामजीलाल शंकरलाल पि० नाथूना छोली फुडी नाथूना हि० 1/4 जाति मीना</u> | <u>रामजीलाल शंकरलाल पि० नाथूना छोली फुडी नाथूना हि० 1/4 जाति मीना</u> |

उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा

प्रतिदिपी :-

1. तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर को भेजकर लेखिका के आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल कर पालना प्रस्तुत करे।
2. प्रार्थी श्री रामजीलाल पुत्र नाथूलाल मीना विन्जारी।
3. रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा